# विद्युत लोकपाल
## मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
## पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

**प्रकरण क्रमांक L00-36/15**

श्री अजय हिरालाल यादव एवं अन्य, — आवेदक
सी–14, हरनामसिंह नगर,
बुरहानपुर म.प्र.

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
बुरहानपुर म.प्र.

### आदेश

### (दिनांक 27.04.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0272214 श्री अजय हिरालाल यादव एवं अन्य विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. बुरहानपुर में पारित आदेश दिनांक 13.05.2014 के विरूद्ध आवेदक की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–36/15 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 27.2.2016 को सुनवाई के दौरान आवेदक उपस्थित एवं अनावेदक अनुपस्थित रहे। तर्क के दौरान आवेदक द्वारा परिसीमा की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन बिलंव से प्रस्तुत करने को क्षमा करते हुए आवेदन ग्राह्य करने का अनुरोध किया। तर्क के दौरान आवेदक द्वारा यह अवगत कराया गया कि फोरम में उनके द्वारा उनकी शिकायत का निराकरण न करते हुए प्रकरण अधीक्षण यंत्री, बुरहानपुर को प्रत्यावर्तित कर दिया गया था तथा दो माह के अंदर निर्णय लेकर उन्हें अवगत कराने के निर्देश दिये थे, जो कि नैसर्गिक न्याय के विपरीत है क्योंकि विभाग द्वारा उनके अनुरोध पर स्थायी कनेक्शन देने हेतु कोई कार्यवाही न करने के कारण उनके द्वारा फोरम में शिकायत दर्ज की गई थी, फोरम द्वारा प्रकरण में गुणदोष के आधार पर निराकरण किया जाना था, परन्तु उनके द्वारा ऐसा न करते हुए प्रकरण अधीक्षण यंत्री, बुरहानपुर को प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

04 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि अधीक्षण यंत्री, बुरहानपुर द्वारा फोरम के निर्णय दिनांक 13.5.2014 के परिपालन में दिनांक 31.3.2015 को निर्णय दिया जिसकी प्रति फोरम को भी दी गई। परन्तु फोरम द्वारा उसे संज्ञान में न लेकर आवेदक के आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि आवेदक की शिकायत पर फोरम द्वारा कोई कार्यवाही न कर प्रकरण को विभाग को प्रत्यावर्तित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम)

विनियम, 2009 के विपरीत है। फोरम द्वारा अधीक्षण यंत्री, बुरहानपुर के निर्णय को संज्ञान में लेते हुए कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही आवेदक को कोई अंतिम निर्णय दिया गया जिसका कि वह इंतजार करता रहा।

05 आवेदक द्वारा बताया गया कि विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका 4.41 के अनुसार ऐसी अविद्युतीकृत कालोनी का आंशिक विद्युतीकरण किये जाने का प्रावधान किया गया । परन्तु न तो अनुज्ञप्तिधारी/अनावेदक द्वारा कोई कार्यवाही की गई और न ही फोरम द्वारा उक्त प्रावधान पर विचार किया गया।

06 आवेदक द्वारा दिये गये तर्क एवं उपरोक्त कंडिका 4.41 के संदर्भ में यह पाया जाता है कि आवेदक को दोनों स्तर पर कोई समाधान नहीं मिला । नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से आवेदक का अभ्यावेदन ग्रह्य कर सुनवाई करने का निर्णय लेते हुए सुनवाई की तारीख दिनांक 14.3.2016 नियत की गई।

07 दिनांक 14.3.2016 को सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें उभय पक्ष उपस्थित हुए। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के अतिरिक्त निम्नानुसार तर्क प्रस्तुत किये गये–

अ हरनाम सिंह नगर, बुरहानपुर में जो कि एक अविद्युतीकृत रहवासी कालोनी है में उनका एक मकान है जिसके आंशिक विद्युतीकरण कर स्थायी विद्युत कनेक्शन देने हेतु अनुरोध किया गया था। आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि उन्हें विगत विगत 11 वर्ष से अस्थायी विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है।

ब आवेदक द्वारा यह बताया गया कि उनका भूखण्ड हरनामसिंह नगर, बुरहानपुर में स्थित है जो उन्हें कोलोनाइजर से क्रय किया गया था। बाद में भूखण्ड क्रमांक बी–8 से बी–14, बी–18 एवं भूखण्ड क्रमांक सी–03 से सी–08, सी–13 एवं सी–17 से सी–20, सी–31 से सी–32 कोलोनाइजर द्वारा सिटीजन को–आपरेटिव बैंक को विक्रय कर दिये गये। (पी–1) सिटीजन को–आपरेटिव बैंक द्वारा हरनामसिंह कालोनी में भूखण्ड क्रय करने के पश्चात कालोनी के विद्युतीकरण हेतु अनुज्ञप्तिधारी से प्राक्कलन स्वीकृत कराकर आवश्यक राशि विद्युत वितरण कंपनी में जमा करा दी गई थी (पी–2)।

स आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि सिटीजन को–आपरेटिव बैंक द्वारा अनुज्ञप्तिधारी /विद्युत वितरण कंपनी के विद्युत बिलों की राशि का संग्रहण का कार्य किया जाता था। परन्तु रिजर्व बैंक के निर्देश पर सिटीजन को–आपरेटिव बैंक की अनुज्ञप्ति समाप्त करने पर एवं अधिग्रहण करने पर सिटीजन को–आपरेटिव बैंक द्वारा विद्युत देयकों की संग्रहित राशि विद्युत वितरण कंपनी को जमा नहीं की जा सकी जिसके कारण विद्युत वितरण कंपनी द्वारा हरनामसिंह नगर के विद्युतीकरण कार्य हेतु जमा की गई राशि को राजसात कर लिया गया तथा कालोनी का विद्युतीकरण का कार्य नहीं हो सका।

08 आवेदक द्वारा बताया गया कि हरनामसिंह नगर में उन्हें अस्थायी विद्युत कनेक्शन विगत 11 वर्षों से दिया जा रहा है, परन्तु अनावेदक विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका 4.43 के प्रावधान का हवाला देते हुए कि अब आगे की अवधि के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन दिया जाना संभव

नहीं है, का पत्र (पी–3) देने पर उनके द्वारा कालोनी के आंशिक विद्युतीकरण का कार्य कर स्थायी संयोजन प्राप्त करने हेतु विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर में आवेदन दिया। (पी–4)

09 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा सुनवाई के पश्चात प्रकरण के निराकरण के लिए प्रकरण अधीक्षण यंत्री, बुरहानपुर को प्रत्यावर्तित कर दो माह के अंदर निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। (पी–5)

10 फोरम द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार अधीक्षण यंत्री, बुरहानपुर द्वारा प्रकरण की समीक्षा दिनांक 12.6.2014 को की गई। जिसमें प्रस्तुत दस्तावेज(पी–7) के अनुसार निर्णय लिया गया।

11 दिनांक 12.6.2014 को लिये गये निर्णय के अनुसार उक्त कालोनी के विद्युतीकरण का आंशिक प्राक्कलन क्रमांक 78–000–4649–14–0014 दिनांक 14.7.2014 को स्वीकृत किया गया जिसकी लागत 54,829/– रूपये थी। यह प्राक्कलन कार्यपालन यंत्री, सिटी, बुरहानपुर द्वारा स्वीकृत किया गया। (पी–8 एवं पी–9)

12 आवेदक द्वारा बताया गया कि दिनांक 12.6.2014 को प्रकरण की समीक्षा में लिये गये निर्णय (पी–7) के तहत पुनः उभय पक्षों की सुनवाई की गई । आवेदक द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए हरनामसिंह नगर का विद्युतीकरण नहीं होने के कारण लगभग 14 वर्षों से उपभोक्ता अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेकर विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। अतः उक्त नगर के आंशिक विद्युतीकरण का कार्य कर स्थायी विद्युत कनेक्शन देने का अनुरोध किया गया तथा आंशिक विद्युतीकरण में होने वाले समस्त व्यय को वहन करने की उनके द्वारा सहमति दी गई।

13 सुनवाई के दौरान अनावेदक कार्यपालन यंत्री द्वारा अधीक्षण यंत्री, बुरहानपुर को बताया गया कि कालोनी के आंशिक विद्युतीकरण का प्राक्कलन स्वीकृत करने एवं उसमें आने वाले व्यय की राशि आवेदक से जमा कराने पर उन्हें स्थायी विद्युत कनेक्शन देने में कोई आपत्ति नहीं है। सुनवाई के पश्चात अधीक्षण यंत्री, बुरहानपुर द्वारा प्रकरण पर अपना अभिमत देते हुए निर्णय दिया गया। (पी–10) तदनुसार विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर को अवगत कराया गया।

14 आवेदक द्वारा तर्क के दौरान यह भी बताया गया कि स्वीकृत प्राक्कलन बाद में निरस्त कर दिया गया जिसकी सूचना उन्हें दिनांक 3.11.2014 को अनावेदक द्वारा दी गई।(पी–11) जिसमें निरस्त करने का कोई कारण नहीं दर्शाया गया। उपरोक्त प्राक्कलन निरस्त होने पर आवेदक द्वारा पुनः फोरम को सूचित किया गया (पी–12) एवं पुनः प्राक्कलन स्वीकृत करने हेतु निर्देश देने का अनुरोध किया गया।

15 आवेदक द्वारा बताया गया कि उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर को प्राक्कलन निरस्त करने के संबंध में दिये गये पत्र (पी–12) के तारतम्य में अधीक्षण यंत्री, बुरहानपुर द्वारा फोरम को अवगत कराया गया कि उक्त प्राक्कलन त्रुटिवश स्वीकृत होने के कारण निरस्त किया गया है एवं कंपनी के नियमानुसार आंशिक बाह्य विद्युतीकरण नहीं किया जा सकता। (पी–13)

16 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि पुनः अधीक्षण यंत्री, बुरहानपुर द्वारा दिनांक 31.3.2015 को एक आदेश पारित किया गया जिसमें दिनांक 12.3.2015 में दिये गये उत्तर (पी–3) का हवाला देते हुए निर्णय लेकर फोरम को अवगत कराया गया कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 4.4.1 में किसी भी वैद्य अविद्युतीकृत कालोनी का आंशिक विद्युतीकरण हेतु स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं एवं कंपनी के नियमानुसार आंशिक विद्युतीकरण नहीं किया जा सकता। अतः आवेदक का आवेदन निरस्त करने योग्य है।

17 आवेदक द्वारा परिसमापक (रिसीवर), सिटीजन को–आपरेटिव बैंक, बुरहानपुर द्वारा जारी पत्र प्रस्तुत किया गया (पी–1)। जिसमें कि परिसमापक द्वारा स्पष्ट किया गया कि सिटीजन को–आपरेटिव बैंक द्वारा हरनामसिंह नगर को दिनांक 19.9.2003 में क्रय किया गया था। जिसमें कि तत्कालीन कोलोनाइजर द्वारा रजिस्ट्री में उल्लेखित भूखण्ड क्रमांक बी–8 सेबी–14, बी–18 एवं भूखण्ड क्रमांक सी–3 से सी–8, सी–13 एवं सी–17 से सी–20, सी–31 एवं सी–32 विक्रय किये गये तथा उन्हें यदि उक्त कालोनी का स्वीकृत नक्शे के अनुसार विद्यतीकरण किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, का उल्लेख है।

18 आवेदक द्वारा बताया गया कि अधीक्षण यंत्री द्वारा पुनः सुनवाई की गई जिसका कि आदेश (पी–14) प्रस्तुत है। उक्त आदेश में अधीक्षण यंत्री द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि हरनामसिंह नगर एक वैद्य अविद्यतीकृत कालोनी है जो कि निर्णय की दिनांक तक सिटीजन को–आपरेटिव बैंक के अंतर्गत बंधक है। ऐसी स्थिति में जबकि पूर्ण कालोनी का विद्युतीकरण कोलोनाइजर द्वारा नहीं किया गया केवल कुछ विक्रय किये गये भूखण्ड में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा आंशिक विद्युतीकरण कर स्थायी विद्युत संयोजन की मांग करना विधि अनुसार सही नहीं है। क्योंकि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 4.4.1 में किसी भी वैद्य अविद्युतीकृत कालोनी का आंशिक विद्युतीकरण हेतु स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं एवं कालोनी के नियमानुसार उक्त परिस्थितियों में आंशिक विद्युतीकरण नहीं किया जा सकता तथा आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

19 उपरोक्त प्रकरण के निराकरण करने हेतु दिनांक 14.3.2016 को सुनवाई के दौरान अनावेदक को निम्न दस्तावेजन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया–

अ हरनाम सिंह नगर के बाह्य विद्युतीकरण के स्वीकृत प्राक्कलन की प्रति।

ब कालोनाईजर/सिटीजन को–आपरेटिव बैंक द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन के विरूद्ध जमा की गई राशि का विवरण।

स विद्युत देयकों के विरूद्ध संग्रह की गई राशि जो कि अनावेदक को रेभिट नहीं की गई थी का विवरण।

द कोलोनी के रहवासियों को विगत 11 वर्ष से किस नियम के अनुसार अस्थायी कनेक्शन जारी है। नियम/निर्देश की कापी

य दिनांक 14.4.2014 को आवेदक एवं रहवासियों के लिए स्वीकृत प्राक्कलन का आधार व उसको बाद में निरस्त करने का कारण।

20 दिनांक 11.4.2016 को अनावेदक द्वारा आवेदक के आवेदन पर प्रतिउत्तर एवं दिनांक 14.3.2016 को सुनवाई के दौरान चाही गई जानकारी के दस्तावेज प्रस्तुत कर निम्नानुसार तर्क प्रस्तुत किये–

अ उक्त कालोनी के रहवासियों को मानवीय दृष्टि के आधार पर अस्थायी विद्युत कनेक्शन जारी किये गये। विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका 4.43 के अनुसार 5 वर्ष तक और बढ़ाये जाने का प्रावधान है।

ब दिनांक 14.4.2014 को कालोनी के रहवासियों द्वारा आंशिक विद्युतीकरण के स्वीकृत प्राक्कलन को मुख्य अभियंता, इंदौर से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करने पर उनसे स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण निरस्त किया गया।

स विद्युत शिकायत निवारण फोरम इंदौर के आदेश अनुसार अधीक्षण यंत्री बुरहानपुर द्वारा दिनांक 12.3.2015 को सुनवाई के दौरान अवगत कराया गया कि वितरण कंपनी के नियमानुसार आंशिक बाह्य विद्युतीकरण की स्वीकृति प्रदाय नहीं की जा सकती एवं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 4.4.1 में किसी भी वैद्य कालोनी में आंशिक विद्युतीकरण हेतु स्पष्ट प्रावधान नहीं बताये गये एवं कंपनी के नियमानुसार ही उक्त परिस्थिति में आंशिक विद्युतीकरण नहीं किया जा सकता। अतः आवेदक का आवेदन निरस्त कर सूचना फोरम की दी गई।

द अनावेदक द्वारा हरनामसिंह नगर कालोनी के बाह्य विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन के दस्तावेज उपलब्ध न होना बताकर प्रस्तुत नहीं किये गये।

इ अनावेदक द्वारा अपने लिखित उत्तर दिनांक 24.3.2016 में स्वीकार किया गया है कि यदि अपीलार्थी मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की धारा 4.1.3 एवं 4.1.4 के अनुसार कार्यवाही करने को तैयार है तो कनेक्शन प्रदाय करने की कार्यवाही की जा सकती है।

21 दिनांक 11.4.2016 को सुनवाई के दौरान पुनः अनावेदक से मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 4.4.1 में दिये गये स्पष्ट प्रावधान के अनुसार उनसे अभिमत पूछा गया। परन्तु अनावेदक के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

**सुनवाई के दौरान आवेदक के एवं अनावेदक के तर्क एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के विवेचन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि–**

अ हरनामसिंह नगर एक वैद्य अविद्युतीकृत कालोनी है।

ब परिसमापक (रिसीवर), सिटीजन को–आपरेटिव बैंक, बुरहानपुर द्वारा जारी पत्र (पी–1) के अनुसार सिटीजन को–ओपरेटिव बैंक, बुरहानपुर द्वारा हरनामसिंह नगर कालोनी को क्रय किया गया था।

स तत्कालीन कोलोनाइजर द्वारा रजिस्ट्री में उल्लेखित भूखण्ड क्रमांक बी–8 से बी–14, बी–18 एवं भूखण्ड क्रमांक सी–3 से सी–8, सी–13 एवं सी–17 से सी–20, सी–31 एवं सी–32 भी शामिल थे, जिसमें आवेदक का भूखण्ड क्रमांक सी–14 पर निर्मित भवन भी शामिल है। (पी–14)

द आवेदक अजयसिंह यादव एवं अन्य निवासियों द्वारा हरनामसिंह नगर, बुरहानपुर के बाह्य विद्यतीकरण हेतु परिसमापक से विद्युतीकरण की सहमति मांगी गई थी जिस पर परिसमापक द्वारा यह स्पष्ट रूप से अपने पत्र में उल्लेख किया गया कि ''पूर्व में कालोनी का नक्शा पास हो चुका था तथा भविष्य में कालोनी को विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता होगी एवं नक्शे में सड़क दिखाई गई है'', अतः सड़क किनारे विद्युत पोल गाड़कर विद्युत लाईन दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। (पी–1) अर्थात परिसमापक द्वारा कॉलोनी का आंशिक विद्युतीकरण करने की अनुमति दे दी गई थी।

य आवेदक एवं अन्य रहवासियों के अनुरोध पर आंशिक विद्युतीकरण के लिए आवेदन पत्र दिया था जिसके अनुसार प्राक्कलन कार्यपालन यंत्री द्वारा स्वीकृत किया गया जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया।(पी–11)

22 विद्युत शिकायत निवारण फोरम इंदौर के आदेश दिनांक 13.5.2014 के परिपालन में अधीक्षण यंत्री द्वारा प्रकरण की समीक्षा हेतु की गई बैठक (पी–7) का कार्यवाही विवरण एवं दिनांक 25.7.2014 को पारित आदेश (पी–10) से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा आवेदक द्वारा आंशिक विद्युतीकरण कर स्थायी कनेक्शन की मांग को सही ठहराया एवं स्थल निरीक्षण कर आंशिक विद्युतीकरण का प्राक्कलन स्वीकृत करने एवं प्राक्कलन में वर्णित समस्त शुल्क आवेदक द्वारा जमा करने पर उक्त कालोनी के विद्युतीकरण कर स्थायी कनेक्शन देने में कोई आपत्ति नहीं होने का उल्लेख किया, अधीक्षण यंत्री द्वारा निम्न अभिमत एवं निर्णय लेते हुए आवेदक के आवेदन का निराकरण किया जाना बताया–

**अभिमत–**

अ आवेदकगण की सुनवाई पश्चात यह तथ्य पूर्ण सत्यता से प्रतीत हुआ है कि वह उक्त कॉलोनी में लाईन विस्तार कार्य एवं स्थायी विद्युत संयोग प्राप्त करने हेतु लागत समस्त शुल्क भुगतान करने हेतु तत्पर है एवं कंपनी नियमानुसार देय समस्त राशि/शुल्क आवेदक द्वारा मान्य है।

ब उत्तरदाता कार्यपालन यंत्री, शहर संभाग, बुरहानपुर द्वारा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के मत में उकत कॉलोनी का प्राक्कलन स्वीकृत किये जाने हेतु आदेशित करना उचित है।

स उक्त दोनों पक्षकारों की कार्य कराने हेतु तत्परता एवं सहमति से परिवादी का परिवाद स्वतः ही निराकृत होता है।

**निर्णय–**

क उत्तरदाता कार्यपालन यंत्री शहर संभाग, बुरहानुपर द्वारा प्रेषित प्राक्कलन दिनांक 23.7.2014 आवेदक द्वारा पूर्णतः स्वीकृत एवं सही है।

ख कार्यपालन यंत्री, शहर संभाग द्वारा प्रेषित प्राक्कलन माननीय मुख्य अभियंता (इं.क्षे.) की ओर स्वकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

ग आवेदक उपभोक्ता माननीय मुख्य अभियंता (इं.क्ष.) द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन सहित नियम एवं शर्तों के अनुसार प्राक्कलन में वर्णित समस्त शुल्क भुतान कर ए–क्लास ठेकेदार से कार्य पूर्ण कराकर इस कार्यालय को अवगत कराएं।

उक्त आदेश की प्रति आवेदक को एवं शिकायत निवारण फोरम, इंदौर को भी प्रस्तुत की गई।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि अधीक्षण यंत्री द्वारा आंशिक विद्युतीकरण की सहमति देते हुए स्वीकृत प्राक्कलन के तहत कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

23 आवेदक द्वारा प्रकरण निरस्त होने पर पुनः एक आवेदन पत्र फोरम को प्रस्तुत कर आंशिक विद्युतीकरण हेतु प्राक्कलन स्वीकृत करने हेतु निर्देश देने का अनुरोध किया गया। (पी–12)

24 अधीक्षण यंत्री बुरहानपुर द्वारा (पी–12) परिपालन में फोरम को अवगत कराया गया कि सुनवाई के दौरान कार्यपालन यंत्री बुरहानपुर द्वारा उक्त कालोनी का आंशिक विद्युतीकरण का प्राक्कलन स्वीकृत कर अधीक्षण यंत्री को प्रेषित किया गया था तथा सूक्ष्म विवेचना करने पर पाया गया कि उक्त प्राक्कलन त्रुटिवश स्वीकृत हुआ जिसे निरस्त कर दिया गया। प्रकरण के तथ्यों को सूक्ष्म अवलोकन करने पर यह पाया गया कि कालोनी का आंशिक विद्युतीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकिएक वैद्य अविद्युतीकृत कालोनी का बाह्य विद्युतीकरण करना कंपनी के नियम में नहीं आता। तर्क के दौरान पूछे जाने पर कि कपंनी के किस नियम के तहत आंशिक विद्युतीकरण नहीं कराया जा सकता, जबकि रेगुलेशन 2009 की कंडिका 4.4.1 में प्रावधान है, कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया ।

25 अधीक्षण यंत्री द्वारा पुनः फोरम द्वारा प्रकरण में दिये गये निर्देश के परिपालन में पुनः सुनवाई कर दिनांक 31.3.2015 को निर्णय पारित किया गया जो निम्नानुसार है–

अ माननीय फोरम के निर्देशानुसार उक्त कालोनी का निरीक्षण किया गया एवं तदोपरात पाया गया कि, उक्त कालोनी एक वैद्य किन्तु अविद्युतीकृत कालोनी है, जो कि सिटीजन को–आपरेटिव बैंक के पास बंधक है जिसमें कि भूखण्ड क्रमांक बी–8 सेबी–14, बी–18 एवं भूखण्ड क्रमांक सी–3 से सी–8, सी–13 एवं सी–17 से सी–20, सी–31 एवं सी–32 तक रजिस्ट्रीकृत विक्रय किये गये हैं।

ब ऐसी स्थिति में जब कि पूर्ण कालोनी का विद्युतीकरण कोलोनाइजर द्वारा नहीं कराया गया है, केवल कुछ उक्त विक्री किये गये भूखंडों में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा आंशिक विद्युतीकरण उपरांत स्थायी संयोजन की मांग करना विधि अनुसार सही नहीं है।

स चूंकि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की धारा 4.4.1 में किसी भी वैद्य अविद्युतीकृत कालोनी के आंशिक विद्युतीकरण हेतु स्पष्ट प्रावधान नहीं बताया गया है एवं कंपनी नियमानुसार भी उक्त परिस्थितियों में आंशिक विद्युतीकरण नहीं किया जा सकता है। तदनुसार आवेदक निरस्त किये जाने योग्य है।

26 अधीक्षण यंत्री की उपरोक्त कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि उन्हें मध्यप्रेदश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 एवं वितरण कंपनी द्वारा इस संबंध में जारी कोई परिपत्र की जानकारी नहीं है वो बार–बार अपना निर्णय बदलते रहे जिससे यह महसूस होता है कि वे स्वयं इस प्रकरण में अपने आपको अलग रखना चाहते थे, जिसके कारण उनके द्वारा कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जा सका।

27 हरनामसिंह नगर कालोनी के विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत प्राक्कलन की प्रति अनावेदक से मांगी गई जो कि उनके द्वारा बताया गया कि स्वीकृत प्राक्कलन का दस्तावेज नहीं मिलने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत नक्शे पर ही चिन्हांकित करके यह स्पष्ट किया है कि स्वीकृत प्राक्कलन में उपरोक्त निर्धारित भूखण्डों का विद्युतीकरण भी शामिल था जिसकी कि राशि सिटीजन को–आपरेटिव बैंक द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को जमा कराई गई थी। आवेदक के अनुसार यह राशि 11,84,408/– थी जिसकी की रसीद आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई, मान्य किया गया । (पी–2)

28 अनावेदक का यह कहना कि वितरण कंपनी के नियमानुसार एवं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 4.4.1 के अनुसार वैद्य अविद्युतीकृत कालोनी का आंशिक विद्युतीकरण किये जाने के स्पष्ट प्रावधान नहीं है। उक्त कंडिका का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार कंडिका की सह कंडिका (ii) में निम्नानुसार प्रावधान हैं–

(ii) प्रवर्तक (प्रोमोटर)/भवन निर्माता (बिल्डर) अथवा आवेदक(ों) को एक ऐसा प्राक्कलन प्रदाय किया जाएगा जिन्हें कि प्राक्कलित राशि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जमा करनी होगी ।

अथवा

आवेदक यदि इच्छुक हो, तो उसे कार्य की प्राक्कलित लागत के 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभारों को जमा कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा ऐसे पर्यवेक्षण प्रभारों की संपूर्ण राशि जमा किये जाने पर ही, आवेदक द्वारा कार्य का सम्पादन किसी अनुमोदित अनुज्ञप्तिप्राप्त ठेकेदार/एजेन्सी से कराया जा सकेगा । तथापि, ऐसे प्रकरणों में, कालोनी के आंशिक कार्य को भारित किये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी ।

अथवा

आवासीय कालोनी के वैयक्तिक उपभोक्ता द्वारा निम्न दर्शाई गई राशि अनुज्ञप्तिधारी के पास कालोनी के विद्युतीकरण कार्य हेतु जमा कराई जा सकेगी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी क्षेत्र के आंशिक क्षेत्र के विद्युतीकरण का कार्य, उक्त कार्य हेतु जो आवासीय कालोनी के वैयक्तिक उपभोक्ता से प्राप्त की गई हो, आंशिक विद्युतीकरण कार्य प्रारंभ कर सकेगा । उपभोक्ता के स्वामित्व वाले क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य के उपरान्त, उपभोक्ता द्वारा स्थाई संयोजन प्राप्त किया जाएगा । उपभोक्ता को अपने स्वयं के व्यय पर उसके परिसर को सेवा तन्तुपथ (लाईन) स्थापित करने व्यवस्था करनी होगी।

| सरल क्रमांक | विवरण | कालोनी की सम्पूर्ण विद्युतीकरण व्यवस्था की प्रत्याशा में देय प्रभार (रूपये प्रति किलोवाट) |
|---|---|---|
| 1. | कालोनी का प्राक्कलित भार 2,000 किलोवॉट से अधिक न होने पर | रू. 3,000 |
| 2. | कालोनी का प्राक्कलित भार 2,000 किलोवॉट से अधिक होने पर | रू. 4,000 |

(iii) यदि किसी विद्युतीकृत कालोनी के क्षेत्र का विस्तार किया जाता है तथा विस्तारित क्षेत्र का विद्युतीकरण किया जाना हो तो ऐसी दशा में विकास अभिकरण (डेवलपर)/भवन निर्माता (बिल्डर) समिति (सोसायटी)/उपभोक्ताओं का संघ (एसोसियेशन)/उपभोक्ताओं को वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विस्तारित क्षेत्र के विद्युतीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के स्वामित्व वाले विस्तारित क्षेत्र हेतु उपभोक्ता से भुगतान की प्राप्ति उपरान्त ही विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा ।

(iv) उपरोक्त के अतिरिक्त, वैयक्तिक उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (Supply Affording Charges) जैसा कि इन्हें विनियम 4.1.4 में निर्दिष्ट किया गया है, जमा करने होंगे ।

उपरोक्त विनियम के अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि यदि कोई वैयक्तिक उपभोक्ता (individual consumer) उक्त विनियम की कंडिका 4.4.1 की सह बिन्दु (ii) में दर्शायी गई राशि

का भुगतान करता है तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी आंशिक क्षेत्र के विद्युतीकरण का कार्य कर सकता है एवं उपभोक्ता के स्वामित्व वाले क्षेत्र में विद्युतीकरण के उपरांत उपभोक्ता को स्थायी कनेक्शन दे सकेगा, जबकि उपभोक्ता को अपने स्वयं के व्यय पर उनके परिसर तक सेवातंतुपथ स्थापित करने की व्यवस्था करना होगी एवं कंडिका 4.4.1 की उपधारा (v) के अनुसार भी उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (सप्लाई अफोर्डिग चार्जेज) उक्त विनियम की कंडिका 4.1.4 में निर्दिष्ट किया गया है के अनुसार राशि जमा करानी होगी। उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि अनावेदक वैयक्तिक उपभोक्ता को स्थाई विद्युत कनेक्शन देने हेतु कालोनी का आंशिक विद्युतीकरण कर सकता है।

29 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर द्वारा भी इस प्रकरण में अपना दायित्व ठीक से नहीं निभाया गया ।उनके द्वारा प्रकरण को गुणदोष एवं इस संदर्भ में प्रचालित विनियम के अध्ययन के पश्चात निर्णय लिया जाना चाहिए था। जबकि उनके द्वारा प्रकरण को पुनः अधीक्षण यंत्री, बुरहानपुर को निर्णय लेने हेतु प्रेषित कर दिया गया। जबकि उपभोक्ता द्वारा विभाग द्वारा निर्णय न लेने एवं कालोनी का विद्युतीकरण कर स्थाई कनेक्शन न देने के कारण ही आवेदन फोरम को दिया था, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम के प्रावधान के विपरीत अनुज्ञप्तिधारी को नियम अपने स्तर पर बनाने का अधिकार नहीं है क्योंकि आयोग द्वारा बनाये गये विनियम के अनुसार ही अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यय/चार्जेज आवेदक से लेना है।

30 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किए गए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण – प्रथम) विनियम, 2009 की कण्डिका 4.4.1 के अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अगर अनावेदक चाहता तो आवेदक को उनके अनुरोध पर कालोनी का आंशिक विद्युतीकरण कर उन्हें स्थाई कनेक्शन दे सकता था, परन्तु कंपनी द्वारा बनाये गये नियम जिसका कि उल्लेख अनावेदक द्वारा अपने कथन में बार–बार किया जा रहा है एवं जिसके कारण विनियम की कंडिका 4.4.1 में दिये गये प्रावधान के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं कर सके एवं निर्णय लेने के बाद भी अपने निर्णय को निरस्त कर दिया। जबकि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 46 में स्पष्ट है कि राज्य आयोग, विनियमों द्वारा वितरण लायसेंसी को अधिनियम की धारा 43 के पालन में विद्युत सप्लाई चाहने वाले व्यक्ति से उसे सप्लाई किये गये प्रयोजन के लिए विद्युत संयंत्र या विद्युत लाइन देने से उद्भूत किन्हीं खर्चों/ व्ययों को वसूल करने के लिए प्राधिकृत करेगा, जबकि इस प्रकरण में निराकरण हेतु बनाये गये मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 4.4.1 के प्रावधान के विपरीत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने स्तर से कोई नियम बनाये गये जिसके कारण उपरोक्त मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही न कर आवेदक को स्थायी विद्युत कनेक्शन समय–सीमा में नहीं दिया गया जो कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 43 का भी उल्लंघन है तथा जिसके लिए अनावेदक पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान है।

31 अनावेदक द्वारा प्रकरण में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 4.4.1 के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई जिसके कारण आवेदक को समय–सीमा पर स्थायी विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा सका। अनावेदक द्वारा उनके यह कार्यवाही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 46 एवं 43 का उल्लंघन है तथा जिसके अनुसार उनके विरूद्ध दण्ड आरोपित करना उचित होगा। अतः विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (द्वितीय पुनरीक्षण) विनियम 2012 के अधीन सर्विस में कमी के कारण अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध आवेदक को स्थायी कनेक्शन समय–सीमा में नहीं देने के करण क्षतिपूर्ति परिशिष्ट–अ(6) के अनुसार आरोपित करना उचित होगा। अतः अधीक्षण यंत्री द्वारा दिनांक 31.3.2015 को लिये गये निर्णय एवं प्रकरण में दिये गये आदेश की तिथि तक की अवधि के लिए दिनांक तक 100/– रूपये प्रतिदिन की दर से आवेदक को क्षतिपूर्ति दिया जाना उचित होगा।

**अतः आदेशित किया जाता है कि –**

(i) अनावेदक, आवेदक को स्थाई विद्युत कनेक्शन प्रदाय करने हेतु कालोनी का आंशिक विद्युतीकरण का कार्य स्वीकृत करें एवं आवेदक ऊपर दर्शित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कण्डिका 4.4.1 की सहधारा (ii) एवं कण्डिका 4.1.4 में दर्शित राशि जमा करता है तो उन्हें स्थाई कनेक्शन प्रदाय करें ।

(ii) अनुज्ञप्तिधारी आवेदक को समय–सीमा में स्थायी कनेक्शन नहीं देने के कारण 39200/– रूपये क्षतिपूर्ति का भुगतान करे।

32 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में आवेदन पर अपने स्तर से गुणदोष के आधार पर निर्णय लें। फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

33 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

**विद्युत लोकपाल**

**प्रतिलिपि :**

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

**विद्युत लोकपाल**